तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
19.06.2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री बसंत विजयवर्गीय, अभिभाषक अपीलांट श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट **आदेश** 1. हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–5–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2. अपील ज्ञापन के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी अपीलार्थी के नाना कानसिंह की खातेदारी भूमि है जिनका देहांत होने पर रेस्पोडेंट सं.1 व 2 ने फर्जी वसीयत के आधार पर नामांतरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलेक्टर बूंदी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे जिला कलेक्टर, बूंदी ने स्वीकार कर दोनों पक्षों को सुनने के बाद नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार बूंदी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में तहसीलदार बूंदी ने वसीयतनामें के आधार पर रेस्पोडेंट के पक्ष में नामांतरकरण तस्दीक कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांर्थी ने प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12–5–04 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस् ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि विवादित आराजी अपीलार्थी के नाना कानसिंह की खातेदारी की आराजी थी। रेस्पोडेंट के पक्ष में वसीयत के आधार पर नामांतरकरण स्वीकृत किया गया। वसीयत फर्जी एवं गैर कानूनी है तथा धारा 68 साक्ष्य अधिनियम के तहत वसीयत को साबित नहीं करवाया गया। वसीयत साबित कराये बिना रेस्पोडेंट के नाम नामांतरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता। विवादित आराजी अपीलार्थी की माता शकुंतला की पैतृक संपत्ति थी जिसका भी उक्त संपत्ति में 1/3 हिस्सा बनता है, जो अपीलांट्स की माता थी। वसीयत को संदेह से परे साबित नहीं करवाया गया। अपीलार्थी कानसिंह के प्राथमिक वारिस है तथा रेस्पोडेंट ने अपीलार्थी की माता शकुंतला को मृत बताते हुये कानसिंह की समस्त आराजी हडपने की नियत से झूठी वसीयत तैयार की है। किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुये अपीलार्थी की अपील गलत रूप से खारिज की है। अतः अपील	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2004(3) राज 1752, आरआरटी 2019(1) आरबी 648, सीसीसी 2021 एमपी 24, आरआरटी 2002 (1) आरबी 139, सीसीसी 2021(1) एसी 270 प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन व अध्ययन किया। 4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स का कथन है कि विवादित आराजी का नामांतरकरण पंजीकृत वसीयत के आधार पर प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में बाद जांच स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी का विवादित आराजी से कोई सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध निर्णय पारित किये है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांतः— आरएलडब्ल्यू 2008(1) राज पेज 41, 2006 आरआरडी 190, 1993 आरआरडी 738 (एचसी), 2016(1) आरआरटी 29(एचसी), 2018—I आरआरटी एचसी पेज 88, 2018—II आरआरटी पेज 848 प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन व अध्ययन किया। 5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। **6.** पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि कानसिंह की मृत्यु के उपरांत विवादित कृषि भूमि का नामांतरकरण सं. 110 दिनांक 19—9—98 से वसीयत के आधार पर कानसिंह की दो पुत्रियों उषा व बृजलता के नाम स्वीकृत किया गया। इसकी जिला कलेक्टर बूंदी के न्यायालय में अपील पेश होने पर निर्णय दिनांक 4—7—2000 से अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ तहसीलदार बूंदी को प्रतिप्रेषित किया गया। जिला कलेक्टर बूंदी के उक्त निर्णय की अपील संभागीय आयुक्त कोटा के न्यायालय मे प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 25——4—01 द्वारा खारिज की गई। जिला कलेक्टर बूंदी के रिमाण्ड आदेश की पालना में तहसीलदार बूंदी ने निर्णय दिनांक 23—5—02 से वसीयत के आधार पर ग्राम बालापुरा की विवादित आराजी मृतक कानसिंह के स्थान पर वसीयत ग्रहिता उषा एवं बृजलता के नाम जरिये नामांतरकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये। तहसीलदार बूंदी के निर्णय दिनांक 23—5—02 के विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने निर्णय दिनांक 12—5—04 से खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मंडल में पेश की गई।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	7. पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि मृतक खातेदार के कोई पुत्र नहीं था। उसके तीन पुत्रियां क्रमशः शकुंतला, उषा एवं बृजलता होना बताया गया। कानसिंह द्वारा विवादित आराजी की पंजीकृत वसीयत दो पुत्रियां उषा एवं बृजलता के नाम पर दिनांक 6–7–98 को शकुंतला की मृत्यु के बाद करवाई गई। मृतक शकुंतला के वारिसान द्वारा यह अपील पेश की गई है। तहसीलदार बूंदी द्वारा मामले के समस्त तथ्यों पर पूर्ण विवेचन व विश्लेषण करने के पश्चात् निर्णय पारित किया गया है। तहसीलदार के निर्णय से स्पष्ट है कि कानसिंह की पुत्री शकुंतला की मृत्यु वर्ष 1994 में ही हो गई थी। विवादित आराजी की पंजीबद्ध वसीयत दो पुत्रियों के नाम दिनांक 6–7–98 को शकुंतला की मृत्यु के बाद करवाई गई। इस प्रकार जब तक सक्षम न्यायालय से वसीयत को अवैध धोषित नहीं कर दिया जाता है एवं अपीलांट अपने अधिकारों की घोषणा नहीं करवाते तब तक नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाहीं में कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत् प्रकरण पर लागू नहीं होते है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत् प्रकरण व परिस्थितियों की समानता के कारण चस्पा होते है। तहसीलदार बूंदी ने विस्तृत विवेचन व विश्लेषण के पश्चात् पंजीबद्ध वसीयत को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत सक्षम अधिकारी उप पंजीयक बूंदी के समक्ष वसीयत में अंकित दोनों गवाहान एवं निष्पादक की उपस्थिति में पंजीबद्ध होना मानते हुये पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर नामांतरकरण स्वीकृत करने का निर्णय पारित किया है जिसका समर्थन न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा ने किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, जिसमें विधि या तथ्य सम्बंधी कोई तात्विक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। 7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि तहसीलदार बूंदी द्वारा पारित निर्णय और उसे बहाल रखते हुये प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–5–04 में ऐसी कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उक्त आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य हैं। 8. परिणामतः हस्तगत अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	

अपील / एलआर / 4839 / 2004 / बूंदी
जितेन्द्र वगैरह बनाम उषा व अन्य